रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23042022-235329
CG-DL-E-23042022-235329

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 222] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 22, 2022/वैशाख 2, 1944
No. 222] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 22, 2022/VAISAKHA 2, 1944

भारतीय उपचर्या परिषद्

प्रत्याहार आदेश

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2022

फा.सं. 18–27/4462–आईएनसीः–समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है :–

चूंकि, राजस्थान राज्य सरकार और राजस्थान उपचर्या परिषद् द्वारा धनवंतरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सेक्टर–2/6/6, के.एल. सैनी स्टेडियम के पास, कावेरी पथ, मानसरोवर, जयपुर–302020, राजस्थान ("कॉलेज") को शैक्षणिक वर्ष 2008–2009 से जीएनएम, बी.एससी. (नर्सिंग), पी.बी.बी.एससी. (नर्सिंग) तथा एम.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रमों का संचालन करने के लिए मान्यता प्रदान की गई थी।

चूंकि, धनवंतरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने कुछ आवष्यक दस्तावेज उपलब्ध कराकर मान्यता प्राप्त की थी। इन दस्तावेजों में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज संपत्ति से संबंधित थे, जिनको प्रस्तुत करके यह बतलाया गया था कि जिस जमीन पर धनवंतरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना की गई है, कॉलेज का संचालन करने वाली संस्था ज्ञानराम झमनलाल सेवा समिति, उसकी वैध मालिक है।

और चूंकि, धनवंतरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विष्वविद्यालय द्वारा भी संबद्धता प्रदान की गई थी।

चूंकि, कॉलेज द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद् को प्रस्तुत किए गए शपथपत्रों/निरीक्षण के आधार पर, कॉलेज ने नर्सिंग पाठ्यक्रमों का संचालन करने के लिए भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 13 तथा 14 के अनुसार भारतीय

उपचर्या परिषद् से भी उपयुक्तता प्राप्त कर ली थी। यहां यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा कि संपत्ति के इसी तरह के दस्तावेज जमा किए गए थे जिससे यह पता चलता था कि जिस जमीन पर कॉलेज स्थापित किया गया है वह समिति की है।

चूंकि, अधिकारियों के संज्ञान में आया है कि कॉलेज द्वारा उपरोक्त मान्यता और उपयुक्तता धोखाधड़ी से जाली/फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करके प्राप्त की गई थी। तत्पष्चात, भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा दिनांक 27.01.2022 को राजस्थान राज्य सरकार को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उनसे नर्सिंग कॉलेज से संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित संपत्ति दस्तावेज, अपना स्वयं का अस्पताल और साथ ही विधिवत प्रमाणित संपत्ति के दस्तावेज जमा करने के लिए, जो भूमि के वास्तविक स्वामित्व को दर्शाता है, के संबंध में आवश्यक टिप्पणी प्रदान करने का अनुरोध किया गया था।

हालांकि, दिनांक 27.01.2022 के कारण बताओ नोटिस के जवाब में कॉलेज द्वारा दिनांक 07.02.2022 को जवाब भेजा गया था। उक्त जवाब पर भारतीय उपचर्या परिषद् की कार्यकारी समिति द्वारा विचार–विमर्ष किया गया। चूंकि, राजस्थान राज्य सरकार की ओर से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी और कार्यकारी समिति ने कॉलेज के जवाब को असंतोषजनक पाया था। यह पाया गया कि समिति के पास संपत्ति के एक भाग का मालिकाना हक वर्ष 2014 में मिला था और राज्य सरकार से प्राप्त सभी अनुमतियां धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थीं। इसके अलावा, दस्तावेजों की जांच के बाद यह भी पाया गया कि, उप–आवास आयुक्त–प्प के कार्यालय द्वारा जारी अपने पत्रांक डीएचसी–II/2462 दिनांक 17.12.2021 में कहा गया है कि उक्त कार्यालय ने धनवंतरी लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड को भूमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति प्रदान नहीं की है। और उक्त कंपनी को उस भूमि से शिक्षण संस्थान चलाने की अनुमति भी नहीं दी है जिसमें नर्सिंग कॉलेज चलाया जा रहा है। परिषद् द्वारा निर्धारित विनियमों और दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि कोई भी नर्सिंग शिक्षण संस्थान केवल संस्थागत क्षेत्र में होना चाहिए।

इसलिए, धनवंतरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज द्वारा जीएनएम, बी.एससी. (नर्सिंग), पी.बी.बी.एससी. (नर्सिंग) और एम.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रमों का संचालन करने की मान्यता अधिनियम की धारा 14(3)–बी के तहत शैक्षणिक सत्र 2021–2022 से वापस ली जाती है।

यह घोषित किया जाता है कि दिनांक 07.04.2022 से, धनवंतरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से कोई भी मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति राजस्थान राज्य सरकार के आदेश के अधीन केवल राजस्थान राज्य में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

लेफ्टिनेंट कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./42/2022-23]

INDIAN NURSING COUNCIL

WITHDRAWAL ORDER

New Delhi, the 22nd April, 2022

F.No. 18-27/4462-INC:—In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, Government of Rajasthan and Rajasthan Nursing Council had granted recognition to Dhanwantri Institute of Medical Sciences, Sector - 2/6/6, Near K.L. Saini Stadium, Kaveri Path, Mansarovar, Jaipur – 302020, Rajasthan (“College”) for running GNM, B. Sc (N), Post basic B.Sc. (N) and M.Sc(N) course from the academic year 2008-2009.

Whereas, the recognition was obtained by Dhanwantri Institute of Medical Sciences after providing certain necessary documents. That the most important of these documents were the property papers by which it was canvassed that the Society namely Gyanram Jhamanlal Seva Samiti, running the college, is the lawful owner of the land on which the Dhanwantri Institute of Medical Sciences College has been established.

And whereas, the Dhanwantri Institute of Medical Sciences was also granted affiliation by Rajasthan University of Health Sciences.

WHEREAS on the basis of inspection/affidavits submitted by the College to the Indian Nursing Council, the College also obtained suitability from the Indian Nursing Council as per Section 13 and 14 of the Indian Nursing Council Act 1947 to run the nursing courses. It would be relevant to mention herein that the similar property

documents were submitted which reflected that the land on which the College has been established belongs to the Society.

Whereas, it had come to the notice of the authorities that the above-mentioned recognition, as also suitability, had been obtained by the College by producing forged/ fabricated /fraudulent documents. That a show cause notice dated 27.01.2022 was issued by the Indian Nursing Council to the state government of Rajasthan requesting them to provide necessary comments with regard to submission of property documents, duly authenticated by the Competent Authority, relating to the Nursing College possessing its own hospital and also to submit the property documents, duly authenticated by the Competent Authority, reflecting the true ownership of the land.

Whereas, the College sent a reply dated 07.02.2022 in response to the show cause notice dated 27.01.2022. The said reply was considered by the executive committee of the Indian Nursing Council. That no comments were received from the state government of Rajasthan. The Executive committee had found the response of the College to be unsatisfactory. It was found that the Society became the owner of the part of the property in 2014 only and all the permissions obtained from the state authorities were obtained fraudulently. Further, after scrutiny of documents, it was found that the office of Sub Avasan Commissioner-II vide his letter no. DHC-II/2462 dated 17.12.2021 stated that the said office has refused permission for change of land use to Dhanvantri Life Care Pvt. Ltd. And has also not permitted the said company from running educational institution from the land in which the college of nursing is being run. The regulations and guidelines prescribed by the Council provides that any nursing Educational institution should be in Institutional area only.

Hence, therefore, the recognition of Dhanwantri Institute of Medical Sciences for conducting GNM, B. Sc (N), Post basic B.Sc. (N) and M.Sc(N) courses is hereby withdrawn from the academic session 2021-2022 in terms of Section 14 (3)-b of the Act.

It is declared that from 07.04.2022, any person obtaining any recognized qualification from Dhanwantri Institute of Medical Sciences shall be entitled to be registered only in the state of Rajasthan subject to orders of the State government of the Rajasthan.

Lt. Col (Dr) SARVJEET KAUR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./42/2022-23]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.04.23 12:42:54 +05'30'